INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

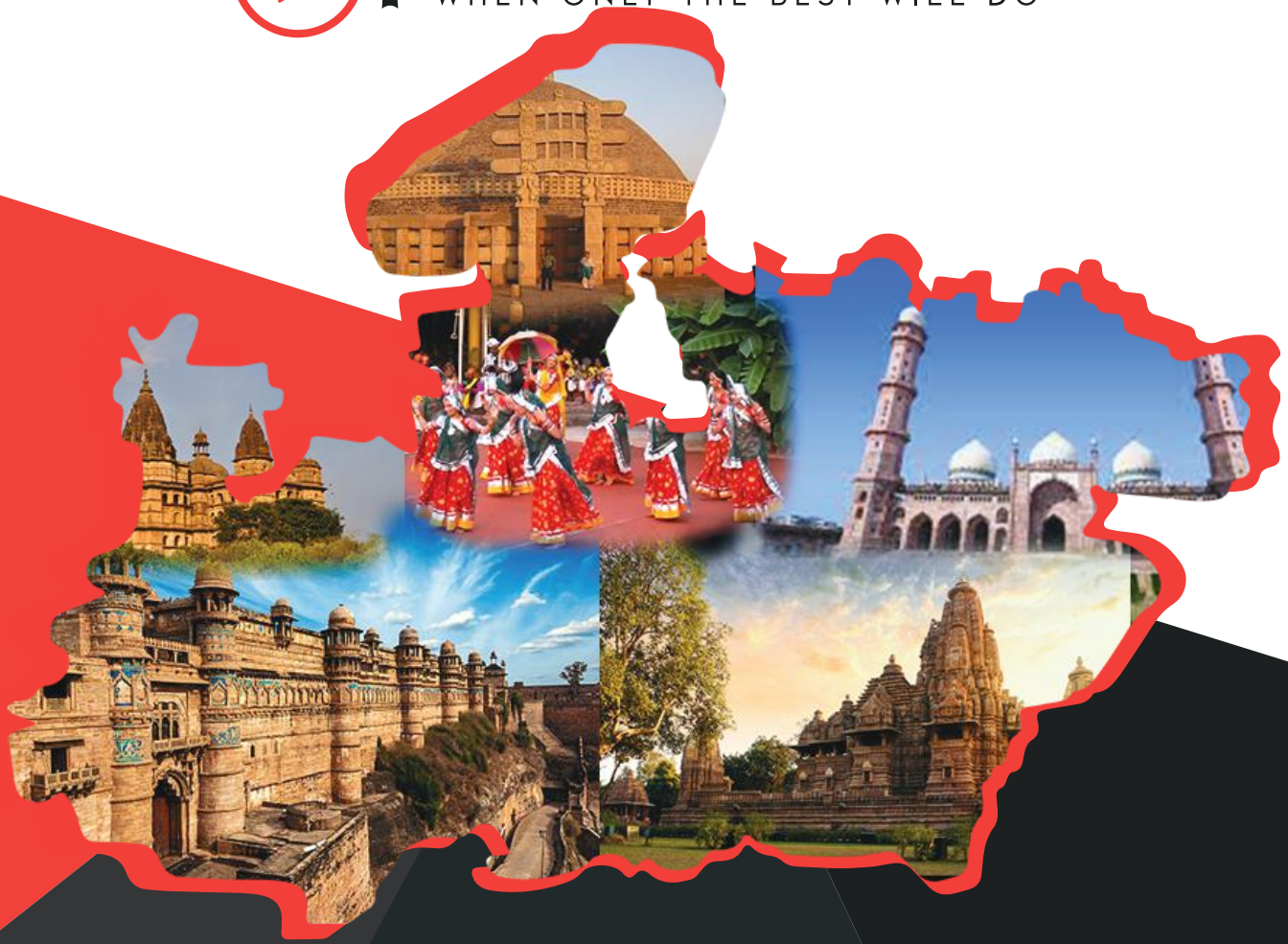

MPPSC-PCS

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

भाग -3 भारत और मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 3

भारत और मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम (2023)**

भारतीय राजव्यवस्था

क्र.सं.	अध्याय	पेज
1.	संविधान निर्माण • राजव्यवस्था का परिचय • शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1 – 11
2.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • प्रमुख संशोधन	12 – 21
3.	उद्देशिका (प्रस्तावना) • प्रस्तावना के मुख्य शब्द • प्रस्तावना का महत्व	22 – 27
4.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • मौलिक अधिकारों की आलोचना	28 – 41
5.	राज्य के नीति निदेशक तत्व • नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ • निदेशक तत्वों का वर्गीकरण • नीति निदेशक तत्वों की आलोचना	41 – 48
6.	मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों की विशेषताएं • आलोचना	48 – 56

7.	राष्ट्रपति • राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ योग्यताएँ। • राष्ट्रपति की पदावधि • निर्वाचन प्रणाली • निर्वाचक प्रक्रिया • राष्ट्रपति पर महाभियोग • राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य • आपातकालीन शक्तियाँ • क्षमादान की शक्ति	57 – 79
8.	उपराष्ट्रपति • शक्तियाँ और कार्य	80 – 84
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् • प्रधानमंत्री की नियुक्ति • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य • केंद्रीय मंत्रिपरिषद् • मंत्रिमंड़ल	84 – 93
10.	भारतीय संसद • संघीय विधानमंडल (संसद) • लोकसभा • राज्यसभा • राज्यसभा के अधिकार और कार्य • संसदो की निरर्हताएँ • सांसदों के विशेषाधिकार • भारत की लोकसभायें • संसद की कार्यवाही	93 – 111

	• संसदीय समितियाँ • धनविधेयक- • वित्त विधेयक	
11.	उच्चतम न्यायालय • सुप्रीम कोर्ट की भूमिका • उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता • उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार • उच्च न्यायालय • न्यायाधीशों की योग्यता • न्यायाधीशों की नियुक्त • मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति • कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति • अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति • शपथ ग्रहण • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • न्यायिक पुनरावलोकनसमीक्षा / • लोक अदालत • परिचय • संगठन • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	111 – 130
12.	भारत निर्वाचन आयोग	130 – 136
13.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	137 – 139
14.	नीति आयोग	140 – 142
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	142 – 149
16.	संघ लोक सेवा आयोग	149 – 151

17.	केंद्रीय सूचना आयोग	151 – 156
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	157 – 159
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग	159 – 161
20.	विभिन्न अन्य आयोग • राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	161 – 167
21.	भारतीय राजनीती में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार • राजनीतिक दल • राजनैतिक दलों की भूमिका/ कार्य • चुनौतियाँ • भारत में दलीय व्यवस्था के गुण • दल परिवर्तन कानून	167 – 175
22.	भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएँ	176 – 178

23.	समुदाय आधारित संगठन (CBO) • समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) दृष्टिकोण और ग्राम विकास • समुदाय आधारित संगठन का (सीबीओ) महत्व और उत्पत्ति • गैरसरकारी- संगठन • भारत में गैरसरकारी संगठन- • भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका	179 – 182
24.	भारतीय राजनितिक विचारक • गाँधीजी के विचार • डॉ. बी. आर. अंबेडकर • स्वामी विवेकानंद • राजा राममोहन राय • स्वामी दयानंद सरस्वती • बाबा आमटे • ज्योतिराव फुले • विनोबा भावे • रवीन्द्र नाथ टैगोर • परिवारसामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं , का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान	182 – 196
25.	प्रशासन एवं प्रबंध • विशेषताएँ • विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका • नवीन लोक प्रशासन	196 – 201

	• सिफारिशें • लोक प्रशासन के अध्ययन प्रति अभिगम • लोकप्रशासन सामाजिक विज्ञान • लोक प्रबंधन में परिवर्तन का प्रबंधन • परिवर्तन का प्रबंधन के कारण • परिवर्तन के प्रबन्ध के महत्त्व	
26.	शक्ति प्राधिकार वैधता उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन • सत्ता प्राधिकार/ • सत्ता की विशेषताएं • सत्ता की अवधारणा • सत्ता के प्रकार • सत्ता के कार्य • सत्ता की सीमाएं • वैधता के प्रकार • वैधता की विशेषताएँ • उत्तरदायित्त्व • प्रत्यायोजन के प्रकार • प्रत्यायोजन का महत्त्व/ आवश्यकता	202 – 207
27.	संगठन के सिद्धांत • पदसोपान • पदसोपान के महत्व • हानियाँ • आदेश की एकता • आदेश की एकता के सिद्धांत की सीमाएं • नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषताएँ	208 – 216

	• नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक	
28.	लोक प्रबंधन के नवीन आयाम और विकास प्रशासन • उद्भव • विशेषताएँ • निष्कर्ष • नवीन लोक प्रशासन • नवीन लोक प्रबंधन का महत्त्व या उपयोगिता • लोक प्रबंधन के नवीन आयाम की विशेषताएँ • सिफारिशें	216 – 222
	मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था	
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)	223 – 223
2.	राज्यपाल	224 – 231
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	231 – 236
4.	राज्य विधानसभा	237 – 244
5.	उच्च न्यायालय	245 – 251
6.	जिला प्रशासन	251 – 257
7.	मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	257 – 258
8.	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग	258 – 259
9.	खाद्य संरक्षण आयोग	259 – 260

10.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	260 – 271
11.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	271 – 282

अध्याय – I

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति**।

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं।** इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है।

इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।

- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें। **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें।

शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार

प्रकार -1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(1). केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-
(a). परिसंघात्मक प्रणाली
(b). संघात्मक प्रणाली
(c). एकात्मक प्रणाली

(2). विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-
(a). संसदीय प्रणाली
(b). अध्यक्षीय प्रणाली

भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली?

काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था।

- **परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य**
- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं।
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं।
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली हैं।
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है। संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना।
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष / राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता।

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-

ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली "**संवैधानिक राजतंत्र**" पर आधारित है। 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है,जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं।
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता** है। चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली** को **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है,जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है,जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके।
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है। क्योंकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिए **ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है।** यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान भी कहा जाता है।
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली **एकात्मक** है, संघात्मक नहीं। एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होता है।
- ब्रिटिश संसद के **दो सदन** है :- **कॉमन्स सभा तथा लॉर्ड्स सभा**। कॉमन्स सभा को निचला सदन भी कहा जाता है और लॉर्ड्स सभा को उच्च सदन कहते हैं।
- ब्रिटिश कार्यपालिका एक मंत्रीपरिषद् के अधीन काम करती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- ध्यातव्य है कि सामान्यतः लॉर्ड्स सभा के सदस्य राजनीति में भाग नहीं ले सकते। ऐसे बहुत कम उदाहरण हुए हैं वहां लॉर्ड्स सभा के सदस्यों ने राजनीतिक पद संभाले हैं।
- इंग्लैंड की न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। हालांकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वहां शक्तियों के पृथक्करण की वैसी गुंजाइश नहीं है, जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस दृष्टि से भी ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से बहुत अधिक शक्तिशाली है।
- **2010 में इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया** है, जिसमें **1अध्यक्ष, 1उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** का प्रावधान है। वस्तुतः यह 12 न्यायाधीश 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के विधि लॉर्ड्स ही है। इसलिए इस परिवर्तन से कोई संरचनागत परिवर्तन नहीं हुआ है, अंतर सिर्फ इतना आया है कि अब इंग्लैंड के पास औपचारिक रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया है।
- इंग्लैंड की न्यायपालिका के संबंध में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह 'विधि द्वारा **स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है,** ना कि 'यथोचित विधि प्रक्रिया' के अनुसार।

अमेरिका की संवैधानिक योजना :-

अमेरिकी राजनीतिक संरचना को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है :-

- **संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है।** ध्यातव्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 13 स्वतंत्र राज्यों के समझौते के रूप में इस संविधान का निर्माण हुआ था इसलिए **यह अपनी मूल प्रकृति में ही संघात्मक है।** शुरू में अमेरिका स्वतंत्र राज्यों का परिसंघ था,किंतु अब यह संघ बन गया है **अर्थात् राज्यों को संघ से प्रथक होने की शक्ति अब नहीं है।**
- **अमेरिकी लोकतंत्र 'अध्यक्षीय प्रणाली'** पर आधारित है इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली पर नहीं अध्यक्षीय प्रणाली के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है,सिर्फ नाममात्र का नहीं। वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका की कार्यपालिका का प्रमुख कार्यकारी होता है। उसका चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है तथा कोई व्यक्ति अपने जीवन काल

अध्याय – 2

संविधान संशोधन

- भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। संविधान के भाग XX में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। (अनुच्छेद 368)
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और न ही यूएसए के समान कठोर। यह दोनों का सम्मिलित रूप है। **संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है।** (केशवानन्द भारती वाद, 1973)
- संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं।
- अनुच्छेद 368 को 24वें और 42वें संशोधन द्वारा क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण निर्णय : केशवानन्द भारती वाद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे" में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

विधेयक की प्रस्तुति	संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
कौन प्रस्तुत कर सकता है ?	इसे मंत्री या किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की भूमिका	ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत	विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत । (50% + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3)
सदन द्वारा पारित किया जाना	दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है ।
संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108)	संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
संघात्मक प्रावधानों में संशोधन	विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति
विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका	24वां संविधान संशोधन- इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। साथ ही संसद, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है।
संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका	राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

साधारण बहुमत	विशेष बहुमत	संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति
• प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं सदन के कुल सदस्यों का बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत • यह एक सामान्य कानून पारित करने के ही समान है। • ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के · तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। • उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च नयायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गयी है।	• सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (रिक्तियाँ और अनुपस्थितों सहित) और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत • उदाहरण: 103 संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।	• विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति । • व्यादातर संघीय प्रावधानों को इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है। • उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन

प्रश्न. निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए -

कथन (A) - सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए

कारण (R) - जिन राजनीतिक दलों ने केन्द्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

कूट -

a. (A) और (R) दोनों सही है एवं (R) A की सही व्याख्या नहीं करता है।

b. (A) और (R) दोनों सही है एवं (R) A की सही व्याख्या करता है।

c.(A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

d. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर – B

विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार

- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
- दूसरी अनुसूची (वेतन, भते और विशेषाधिकार)
- राज्यों में विधान परिषद् का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
- संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
- संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
- संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
- संसद में अंग्रेजी का उपयोग
- सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या

प्रश्न. निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था -

A. 54 वाँ **B. 55 वाँ**
C. 52 वाँ **D. 53 वाँ**

उत्तर - D

साधारण बहुमत

- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
- सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
- आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)
- छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेश
- पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत आधे + राज्यों की सहमति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
- केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 368

प्रश्न. संविधान संशोधन (91वें) अधिनियम, 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए?

A. विधानसभा की कुल सदस्यों का 10%

B. विधानसभा की कुल सदस्यों का 12%

C. विधानसभा की कुल सदस्यों का 15%

D. विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%

उत्तर - C.

हालिया संविधान संशोधन

99वां संशोधन 2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
100वां संशोधन 2015	भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान
101वां संशोधन 2017	1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना
102वां संशोधन 2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
103वां संशोधन 2019	103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछलड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण ।
104वां संशोधन 2020	लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि
105वाँ संशोधन 2021	राज्य सूची और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधि सूचित करने की राज्यों की सक्ति की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया ।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना

राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती (सिर्फ संसद द्वारा ही) + राज्य सिर्फ एक ही संशोधन के लिय प्रस्ताव कर सकती है राज्य विधान परिषद् के गठन के लिए संविधान में यह समय सीमा नहीं दी गयी है कि राज्य विधानमंडल कितने दिनों के अंदर संशोधन विधेयक पर संस्तुति देगी या नहीं देगी + संविधान इस बात पर भी मौन है कि एक बार संस्तुति देने के बाद राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुति को वापस ले सकता है या नहीं + संशोधन के लिए विशेष संस्था का अभाव कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता + संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान न होना + अस्पष्ट प्रावधानों के कारण न्यायालयीन हस्तक्षेप की व्यापक संभावना।

- **संविधान में संशोधन के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत के उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण :-** भारत का संविधान कठोर तथा लचीली दोनों प्रकार की विशेषताओं का सम्मिश्रण

प्रमुख संशोधन

भारतीय संविधान में संशोधित हुए प्रमुख संशोधन हैं –

प्रथम संविधान संशोधन - (1951) में

9 वीं अनुसूची में →भूमि सुधार कानून संबंधी

चौथा संशोधन (1955) : इसके अनुसार व्यवस्था की गई कि राज्य किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जायदाद का अधिगृहण कर सकता हैं। इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए निर्धारित की गई राशि की मात्रा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं।

7वाँ संविधान संशोधन (1956) में :

राज्य पुनर्गठन आयोग → फजल अली आयोग → की सिफारिश पर ⇒ 14 राज्य एवं 6 केन्द्रशासित प्रदेश।

इस संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता हैं।

नौवां संशोधन (1960) : इसके द्वारा संविधान की **प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया ।** इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1958 के भारत-पाकिस्तान सीमा समझौते के मध्य भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को देना था। (बेरुबाडी वाद)

दसवां संशोधन (1961) : पुर्तगाली बस्तियों दादरा एवं नगर हवेली को भारत संघ में शामिल करके शासन का भार राष्ट्रपति को सौंपा गया।

16वा संशोधन (1963) : इस संशोधन द्वारा राज्यों की सरकारों को अधिकार दिया गया कि वह देश की एकता और अखंडता के लिए मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।

21 वाँ संविधान संशोधन (1967) - मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी और इस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं।

26वां संशोधन (1971) : इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया

36वां संशोधन (1975) : सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया।

42 वाँ संविधान संशोधन (1976) :-

इसे (mini constitution) लघु संविधान भी कहते हैं।

42th संविधान संशोधन, 1976 के तहत् संविधान के भाग 4क में जोड़ा गया।

इस संशोधित विधेयक की निम्न शर्तें हैं - संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता' शब्द रखे गये।

44वां संशोधन (1978) : संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल वैधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 352 का अनुशोधन किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के आधीन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में 2 महिने से अधिक अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं।

45वां संशोधन (1980) : संसद और राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए सीटों का आरक्षण और एंग्लो-भारतीयों के लिए नामजदगी की सुविधा को दस वर्ष बढ़ाया गया।

52वां संशोधन (1985) :

52 वाँ सविधान संशोधन (1985) के द्वारा 10 वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

"दल-बदल विरोध कानून" लागू किया गया।

यह संशोधन **'दल-बदल रोक बिल' के नाम से जाना गया।** इसके अनुसार यदि कोई संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य राजनीतिक दल बदलता हैं या दल द्वारा निकाल दिया जाता हैं जिसने उसे

अध्याय – 7

राष्ट्रपति

- भारत में **'राष्ट्र प्रमुख'** के रूप में **राष्ट्रपति** के **पद की व्यवस्था** को अपनाया गया हैं। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के एक संतुलित स्वरूप को अपनाया। **गणतांत्रिक प्रणाली** होने के कारण संविधान में **'निर्वाचित राष्ट्रपति'** के प्रावधान को शामिल किया गया।

कार्यपालिका का प्रमुख

- मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं: एक **'वास्तविक प्रमुख' एवं दूसरा 'नाममात्र या औपचारिक प्रमुख'। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख हैं।** तथा राष्ट्रपति कार्यालय की प्रकृति काफी सीमा तक औपचारिक हैं।
- शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती हैं:
- राष्ट्र प्रमुख के रूप में: **राष्ट्रपति देश की एकता, अखंड़ता एवं एकजुटता का प्रतीक हैं**। अतः व्यवहारिक रूप से राजप्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रदान की गयी हैं।
- दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता हैं।
- प्रशासन की निरंतरता हेतु- मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होता हैं और यह लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता हैं। ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना आवश्यक हैं।
- संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतुः भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता हैं।
- **संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन हैं।**
- **अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।** यहाँ "होगा" शब्द के लिए "shall" का प्रयोग किया गया हैं, जिसका अर्थ हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विधमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता हैं और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया गया हैं। अस्वस्थता के कारण अस्थायी अनुपस्थिति आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें।

स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका- अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

विवरण

- राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता हैं:
- स्थायी कार्यपालि या नौकरशाही
- अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका
- स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही
- स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), प्रांतीय सेवाएँ] स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
- नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों घ्
- संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरान अपने अनुभव से गैर-राजनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे।
- नौकरशाही, वह माध्यम हैं जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं।
- सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
- वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माण एक अत्यंत ही जटिल कार्य बन गया हैं

जिसके लिए विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की आवश्यकता हैं । इसके लिए दक्ष एवं स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता हैं।

- राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका का ध्यान सामान्यतः नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता हैं। जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन समाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में मंत्रियों को परामर्श देती हैं ।
- सरकारो के बदलने के बावजूद भी स्थायी कार्यपालिका, नीतियों में निरंतरता एवं लोकप्रशासन में एकरूपता बनाए रखने eas अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं ।
- स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध
- संसदीय शासन प्रणाली में, राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद्, प्रधानमंत्री सहित) सरकार के प्रभारी होते हैं एवं स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन इनके नियंत्रण एवं देखरेख में होता हैं।
- यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखे ।
- राजनीतिक कार्यपालिका, जहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदयी होती हैं ।
- नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती हैं कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, अर्थात् नौकरशाही, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधार का समर्थन नहीं करेगी।
- लोकतंत्र में सरकारों के बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी हैं कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने एवं लागू करने में मदद करें ।
- हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता हैं किंतु शासन की प्रणाली राष्ट्रपतीय नहीं हैं । शासन की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना एवं उनके भेद जानना आवश्यक हैं । राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:-
- राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता हैं और साथ ही शासनाध्यक्ष भी । वह राज्य व्यवस्था मंे शीर्षस्थ होता हैं । वह वास्तव में कार्यपालक होता हैं, नाममात्र का नहीं । उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता हैं ।
- सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं । राष्ट्रपति }द्वारा नियुक्त मंत्रिमंड़ल उसे केवल सलाह देता हैं यह आवश्यक नही हैं कि वह उनकी सलाह माने । वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता हैं ।
- राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हैं । राष्ट्रपति के पद की अवधि विधान-मंड़ल की इच्छा पर आश्रित नहीं हैं । विधान-मंड़ल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता हैं और न उसे उसके पद से हटा सकता हैं ।
- राष्ट्रपति और मंत्रिमंड़ल के सदस्य, विधान मंड़ल के सदस्य नहीं होते हैं । राष्ट्रपति विधान-मंड़ल की अवधि के अवसान के पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता । ***विधान-मंड़ल राष्ट्रपति की पदावधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता हैं अन्यथा नहीं***। इस प्रकार राष्ट्रपति और विधान-मंड़ल नियत अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं । एक का दुसरे में हस्तक्षेप नहीं होता।

<u>राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ</u>

अनु. 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक हैं:

- वह भरत का नागरिक हो ।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों ।
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों।
- वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हों ।

राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office) (अनु. - 56)

- अनु. 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती हैं । हालाँकि वह निम्नलिखित रीतियों से अपने कार्यकाल के दौरान ही पदमुक्त हो सकता हैं:
- भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र सौंपकर।
- अनुच्छेद - 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान हैं।

कर देता हैं कि आरोप सिद्ध हो गया है तो ऐसे प्रस्ताव का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसने पद से हटाना होगा। अमेरीका में सीनेट को महाभियोग के विचारण का अधिकार है, कांग्रेस को नहीं । विचारण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता हैं । हटाए जाने का प्रस्ताव विचारण में उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होता हैं ।

- चूँकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता हैं, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता हैं।
- **महाभियोग** की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के विधायक भाग नहीं लेते हैं।

स्पष्टीकरण

- **'महाभियोग' इतना असाधारण शब्द हैं कि इसको गलत समझा जा सकता हैं । एक सामान्य गलत अवधारणा यह हैं कि इसे 'पद से जबरन हटाना' समझा जाता हैं ।**
- **'महाभियोग'** शब्द **ब्रिटिश परम्परा** से उत्पन्न हुआ हैं, जिसका अर्थ किसी सरकारी अधिकारी को बिना किसी सरकारी अनुबंध के तथा महाभियोग द्वारा दोषसिद्ध हो जाने पर उसके पद से हटाना हैं । **भारत में, यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया** हैं और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं ।
- संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं ।
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्रशासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था ।
- **अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया हैं ।**

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

❖ संविधान के अनुसार, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं । **''कार्यपालिका शक्ति'' मुख्य रूप से विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन को दर्शाता हैं ।** राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण, सभी अवशिष्ट कार्यों को व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया गया हैं । कार्यपालिका शक्ति को संक्षिप्त रूप में, उन मामलों को छोड़कर जिसके लिए संविधान ने किसी और को अधिकृत किया हैं, शेष सभी के लिए, 'सरकार के कार्यों को पालन करने की शक्ति' या 'राज्य के मामलों का प्रशासन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं । इस प्रकार, कार्यपालिका शक्तियों में प्रमुख रूप से नीतिनिर्माण, नीति क्रियान्वयन, व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की रूप रेखा तैयार करना, राज्य के सामान्य प्रशासन की देखरेखा करना आदि शामिल हैं ।

राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ

अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करेगा।

- अनुच्छेद 75(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रियों (प्रधानमंत्री को छोड़कर) की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती हैं । यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूची से अलग किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता हैं तो यह प्रावधान का उल्लंघन होगा । यदि राष्ट्रपति संविधान के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करता हैं तो वह महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

42 वाँ संविधान संशोधन

- **1976 के पहले, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद् की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं था ।** यद्यपि न्यायिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं न कि वास्तविक प्रमुख तथा वह मंत्रिपरिषद् की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते उन्हें लोकसभा में विश्वासमत प्राप्त हो । **42 वें संविधान संशोधन, 1976 के तहत अनु.**

74(1) में संशोधन करके इस स्थिति को स्पष्ट किया गया हैं ।

अनु. 74(1) में संषोधन के बाद अब इस रूप में हैं:

''राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार करेगा ।''

- यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य करता हैं ।
- जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनु. 74(1) के संशोधित स्वरूप को बनाए रखा । लेकिन, 44 वें संशोधन अधिनियम, द्वारा एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया जो इस प्रकार हैं:
- ''राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए अपेक्षा कर सकेगा और पुनर्विचार के पश्चात दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।''
- 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान स्थिति यह हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा । इसलिए, इस तरह की सलाह को इंकार करने की स्थिति मे उस पर संविधान के अतिक्रमण के मामले में महाभियोग चलाया जा सकेगा । लेकिन यह राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन हैं कि वह कुछ विशेष मामलों में मंत्रिपरिषद् के द्वारा प्राप्त सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा ।
- हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को बिना संशोधन के ही परामर्श को वापस भेज दे तो राष्ट्रपति के पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा । किसी एक मामले में पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता हैं । राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों व कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता हैं:

कार्यकारी शक्तियाँ

- अनु. 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता हैं । औपचारिक रूप से सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं । इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संविधान द्वारा प्रदत्त उसकी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता हैं ।
- राष्ट्रपति अपने नाम से निर्मित किये जाने वाले तथा लागू किये जाने वाले आदेशों के लिए ऐसे नियम बना सकता हैं, जिनकी पूर्ति की स्थिति में वे आदेश वैध एवं प्रमाणित हों ।
- वह प्रधानमन्त्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता हैं तथा सभी मंत्री उसके प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं।
- वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता हैं तथा उसके वेतन आदि का निर्धारण करता हैं ।
- महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता हैं ।
- ***राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त करता हैं:***

  वह भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री व भारत का महान्यायवादी व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकव मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य व वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य व उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक व अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी व भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
- कुछ नियुक्तियों में, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों से सलाह लेता हैं । उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों जिनसे वह आवश्यक समझे, सलाह लेगा
- ऊपर निर्दिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अवर अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति नहीं हैं जैसा कि अमेरिकी संविधान में पाया जाता हैं । इस प्रकार, भारतीय संविधान अमेरिका की तरह अवांछनीय 'लूट प्रणाली (Spoil system) से बचाव करता हैं । बल्कि यह उच्च अधिकारियों की नियुक्ति को संसद के लिए एक विधायी विषय बना देता हैं तथा इसके तहत राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति से संबंधित मामलों में

सैन्य शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता हैं। इस क्षमता में **वह थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता हैं।** वह युद्ध के प्रारम्भ या समाप्ति की घोषणा कर सकता हैं हाँलांकि, यह संसद की अनुमति के अधीन हैं।

न्यायिक शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हैं। उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।
- अनु. 143 के अनुसार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न, जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित से संबंधी व्यापक महत्व का प्रश्न निहित हों, पर सलाह प्राप्त कर सकता हैं। हालाँकि, यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता हैं कि वह सलाह दे या न दे तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति भी, दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

क्षमादान की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निहित क्षमादान इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति का, देश की जनता द्वारा उनमें विश्वास के रूप में निहत किया गया, एक संवैधानिक कर्तव्य हैं।

1. राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड़ को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति रखता हैं -

(क) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ दंड कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वार दिया गया हों।**

(ख) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ संघ** की **कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित** किसी **भी कानून के उल्लंघन के विरुद्ध किसी** अपराध **के लिए दंड़ दिया गया हों।**

(ग) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड़ दिया गया** हों।

2. **खंड 1 के उपखंड** (क) की कोई बात, संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सैन्य न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, विधि द्वारा प्रदत शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

इन शब्दों के अर्थ को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता हैं:

1. **क्षमा (Pardon)** इसमें दण्ड़ और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता हैं और दोषी को सभी दण्ड़, दंड़ादेशों और निरहर्ताओं से मुक्त कर दिया जाता हैं।
2. **प्रविलंबन (Reprieve)**: इसका अर्थ हैं, किसी दंड़ (विशेष रूप से मृत्युदंड़) पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमायाचना अथवा दंड़ के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध करवाना हैं।
3. **परिहार (Remission)** इसका अर्थ हैं, दंड़ की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को कम करके एक वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
4. **लघुकरण (Commutation)**: इसका अर्थ हैं, दंड़ के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए, मृत्यु दंड़ को कठोर कारावास या साधारण कारावास में बदला जा सकता हैं।
5. **विराम (Respite)** : इसका अर्थ हैं कि किसी दोषी को मूल रूप में दिए गए दंड़ को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना जैसे: शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के कारण।

यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि **राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र हैं और यह एक कार्यकारी शक्ति हैं। इस शक्ति के प्रयोग के दौरान राष्ट्रपति किसी अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं।**

राष्ट्रपति को यह शक्ति दो रूपों में प्रदान की गई हैं:

- कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने द्वार सदैव खोले रखना।
- किसी ऐसे दंड़ से राहत के लिए जिसे राष्ट्रपति अनावश्यक रूप से कठार समझे।
- न्यायिक समीक्षा के दायरे
- **मारू राम वाद (1980)** में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की हैं कि अनु. 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता हैं।
- केहर सिंह वाद (1988) easa उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला:

1. याचिकाकर्ता को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं हैं

2. राष्ट्रपति न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय की जांच कर सकता हैं ।
3. राष्ट्रपति का कार्य प्रकृति में न्यायिक नहीं माना जा सकता हैं । वह न्यायालय से भिन्न एवं स्वतंत्र निर्णय देते हुए भी न्यायालय के निर्णय को रद्द या गलत सिद्ध नहीं करेगा ।
4. इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता हैं ।
5. न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता हैं ।
6. राष्ट्रपति को अपने आदेश का कारण देने के लिए नहीं कहा जा सकता हैं ।
7. इस शक्ति के व्यापक आयाम हैं । इसका तात्पर्य यह हैं कि इस प्रकार के कई मामले राष्ट्रपति की शक्तियों की अधीन आते हैं ।
8. ***न्यायिक समीक्षा के दायरे निम्नलिखित सन्दर्भों तक सीमित हैं:***

- आदेश बिना विवेक के प्रयोग के पारित कर दिया गया हो ।
- राष्ट्रपति ने प्रासंगिक तथ्यों को विचार में न लिया हो ।
- आदेश दुर्भाविनापूर्ण हो ।
- आदेश मनमाने ढंग से दिया गया हो ।

उपर्युक्त दो मामलों के अतिरिक्त, वाठी सवारण वाद 1983 और त्रिवेणी बेन वाद 1989 के मतानुसार (निर्णय न होकर एक सुझाव) मृत्युदंड़ में अनावश्यक देरी की स्थिति में उसे उम्रकैद में बदला जा सकता हैं ।

- शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ वाद ; (2014) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया हैं कि:
- अत्यधिक विलंब, मृत्युदंड़ को उम्रकैद में बदलने के लिए एक उचित आधार हो सकता हैं ।
- केंद्र के दौरान विकसित मनोरोग की स्थिति क्षमादान का आधार हो सकती हैं ।
- यह निर्णय मृत्युदंड़ प्राप्त कैदियों के एकांत कारावास के विरुद्ध सुनाया गया हैं ।
- कम से कम 14 दिन पहले परिवार के सदस्यों को सूचना देनी होगी ।
- यह राष्ट्रपति का एकमात्र विशेषाधिकार नहीं हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं ।
- दोषियों की दया याचिकाओं को निपटाना राष्ट्रपति और राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व हैं ।
- क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हैं जिसे कार्यपालिका की इच्छा के अधीन प्रयोग नहीं किया जा सकता हैं।
- हालाँकि, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी हैं । लेकिन, यह कार्यपालिका का कर्तव्य हैं कि वह हर स्तर पर मामले में तेजी लाए ।
- अनु. 21 व्यक्ति की अंतिम सांस तक उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि दया याचिका खारिज हो जाने के बाद भी , अपराधी कभी भी आकस्मिक घटनाओं के आधार पर रूपांतरण के लिए न्यायालय की शरण ले सकता हैं ।
- सभी स्तरों पर कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ।
- अस्वीकृति को अतिशीर्घ सूचित किया जायेगा । दोषी को नजदीकी कानूनी सहायता केंद्र से सूचित किया जाना चाहिए ।
- व्यक्ति को न्यायिक समीक्षा को प्राप्त करने का अधिकार हैं । दया याचिका खारिज होने के बाद न्यायपालिका के पास राष्ट्रपति के निर्णय को रद्द करने का अधिकार हैं, अगर वहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का साक्ष्य हों ।
- राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से तुलना
- ***अनु. 161 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल भी किसी दोषी व्यक्ति को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक संबंधि तमामले के लिए उसे क्षमादान, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति रखता हैं । इसका तात्पर्य यह हैं कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति हैं, ऐसे मामलों में जहाँ दोषी व्यक्ति राज्य के कानून के अधीन हैं ।***
- अनु. 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनु. 161 के तहत राज्यपाल की तुलना में ज्यादा व्यापक हैं । ये शक्तियाँ निम्नलिखित दो मामलों में व्यापक हैं:-
- जहाँ राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार हैं, वही अनु. 161 के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं हैं ।
- राष्ट्रपति सभी मामलों में यहाँ तक कि मृत्युदंड़ प्राप्त व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता हैं । किन्तु, ***राज्यपाल को मृत्युदंड़ को क्षमा करने की शक्ति नहीं प्राप्त हैं।***

नहीं किया जा सकता । चुनौती का आधार असद्भाव हो सकता हैं । जब आक्षेप किया जाए तो उसका प्रतिवाद/संघ या राज्य को करना होगा। यदि व्यक्तिगत असद्भाव का अभिकथन हैं और वह साबित किया जा रहा हैं तो उसका प्रतिवाद होना चाहिए । राज्यपाल चाहे तो शपथ पत्र फाइल कर सकता हैं । इस पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं । उन्मुक्ति का यह परिणाम नहीं हैं कि न्यायालय को कार्य की विधिमान्यता पर और असद्भाव के आधार पर विचार करने की शक्ति नहीं हैं ।

- जब राज्यपाल को कृत्य पदेन सौंपे जाते हैं, जैसे - विश्वविधालय के कुलाधिपति का पद, तो वह यह कार्य राज्यपाल होने के नाते नहीं करता, बल्कि वह कुलाधिपति की हैंयित से कार्य करता हैं । वह मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य नहीं करता और राज्य उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । कुलाधिपति के रूप में उसे वह उन्मुक्ति नहीं मिलती जो राज्यपाल को मिलती हैं ।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

- संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय हैं । परिणामतः राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता हैं । मुख्य शक्तियाँ प्रधानमन्त्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंड़ल में निहित होती हैं । अन्य शब्दों में, **राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंड़ल की सहायता व सलाह से करता हैं ।**
- भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का सन्दर्भ प्रासंगिक हैं ।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग
  संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यसम से करेगा ।
- अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे एक मंत्रिपरिषद् होगी । राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्य का निर्वहन उनकी सलाह पर करेगा ।
- अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी । यह प्रावधान संसदीय व्यवस्था का आधार हैं ।
- संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में कोई संशय नहीं था कि वे ग्रेट ब्रिटेन के मॉड़ल पर ही सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना कर रहें हैं ।
- डॉ. अम्बेड़कर ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा था, "राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख हैं" एवं "उसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं हैं।"तथा भारत के राष्ट्रपति की स्थिति इंगलैंड़ के राजा की तरह ही हैं । वह राज्य का प्रमुख तो हैं, किन्तु सरकार का नहीं । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता हैं, किन्तु उस पर शासन नहीं । वह राष्ट्र का प्रतीक हैं । प्रशासन मे उसका स्थान एक औपचारिक डिवाइस (उपकरण) या एक मुहर के समान हैं जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णयों को सार्वजनिक किया जाता हैं ।
- यद्धपि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं। किंतु, वह केवल कार्यपालिका का एक औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख हैं । वास्तविक शक्ति, मंत्रिपरिषद् में निहित हैं, जिसकी सहायता और सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता हैं ।
- कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी नीति का निर्माण तथा विधि में उसका रूपांतरण करना हैं । यह अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं जिसका विश्वास प्राप्त करना इसके लिए अत्यावश्यक हैं इस उत्तरदायित्व का आधार अनुच्छेद 75(3) में सन्निहित हैं ।
- राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिमंड़ल की सलाह मानने हेतु बाध्य हैं । वह मंत्रियों की सलाह के विपरीत कुछ नहीं कर सकता और न ही उनकी सलाह के बिना ही कुछ कर सकता हैं ।
- नाममात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका उसके अप्रत्यक्ष चुनाव में प्रदर्शित होती हैं ।यदि उसे वयस्क मताधिकार के द्वरा निर्वाचित किया जाता तो उसे कोई वास्तविक शक्ति न दिया जाना असंगत होता और साथ ही, यह आशंका भी विधमान रहती कि राष्ट्रपति अपने इस अधिकार के कारण अंततः शक्ति के केंद्र के रूप में उभर सकता हैं । चूँकि शक्ति को वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद् और विधायिका में निहित होना था न

कि राष्ट्रपति में अतः उसे (राष्ट्रपति को) अप्रत्यक्ष चुना जाना आवश्यक समझा गया ।

42वाँ संविधान संशोधन, 1976

- इस संशोधन ने भारती संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के विषय में सभी संदेहों को दूर कर दिया । संशोधित रूप में अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया हैं कि "राष्ट्रपति को सलाह देने व उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा" । यहाँ तक कि इस संशोधन के अंतर्गत, राष्ट्रपति एक सलाहकार या एक गाइड की भूमिका भी नहीं निभा सकता ।

44 वाँ संविधान संशोधन, 1978

- ***अनुच्छेद 74 में एक परंतु इस प्रभाव के लिए जोड़ा गया कि, "राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा । परिणामतः राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के परामर्श के आधार पर ही कार्य करना पड़ता हैं, किन्तु राष्ट्रपति उनको परामर्श पर पुनर्विचार करने को कह सकता हैं*** और यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति की सलाह के विपरीत कार्य करने के निर्णय लेती हैं तो राष्ट्रपति के पास उनके निर्णय को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं।
- हालाँकि, यह मानना गलत होगा कि राष्ट्रपति का पद पूर्णतः प्रभावहीन हैं । यह पहले ही देखा जा चुका हैं कि असाधारण और असामान्य परिस्थितियों के कुछ मामलों में राष्ट्रपति को सीमित विवेकाधिकार प्राप्त हैं, उदाहरणार्थ - लोकसभा के विघटन में, मंत्रिमंड़ल की बर्खास्तगी में, लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में या बिना किसी उत्तराधिकारी के प्रधानमन्त्री की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाने की स्थिति इत्यादि में । संकट के समय इनमें से कोई भी विषय देश के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता हैं और दीर्घकाल में राष्ट्र की नियति पर गहरा प्रभाव डाल सकता हैं । इसके अतिरिक्त, उसे राष्ट्रहित के मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया हैं । प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित और कानून के लिए प्रस्तावों के विषय में मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के विषय में जानकारी देने के लिए बाध्य हैं ।
- संघ कार्यपालिका के सांकेतिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को किसी भी इच्छित जानकारी को मंगाने का अधिकार हैं । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता हैं, जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किन्तु पूरी मंत्रिपरिषद् ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो । यह प्रावधन मंत्रियों के मध्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया हैं । इन सभी मामलों में, स्पष्ट हैं कि राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह के बिना स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करता हैं । लेकिन इन सब से अधिक, राष्ट्रपति मंत्रियों पर एक प्रेरक प्रभाव डाल सकता हैं और अपने परामर्श तथा अनुभव के द्वारा उनकी सहायता कर सकता हैं । ब्रिटिश राजा की तरह, राष्ट्रपति की भूमिका "मंत्रियों को उनके दिए गए परामर्श के संदर्भ में परामर्श देना, प्रोत्साहित करना तथा चेतावनी देना हैं ।"

निष्कर्ष

- ***हालाँकि, राष्ट्रपति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता हैं तथा एक सचरित्र एवं योग्य व्यक्ति सरकार के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हैं*** । राष्ट्रपति अपनी सलाह एवं सहायकता द्वारा, अपने ज्ञान, अनुभव के प्रसार द्वारा तथा आम जनता के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अरुचिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता हैं । लेकिन, उसे अपने मंत्रियों को किसी विशेष कार्यवाही के लिए बाध्य करने का प्रया स नहीं करना चाहिए ।
- अंततः सम्पूर्ण विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं। कि राष्ट्रपति नहीं, अपितु मंत्रिपरिषद् वह प्राधिकारी हैं जो व्यवहारिक रूप में प्रभावशाली हैं । अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रपति का कार्य सलाहकारी प्रवृत्ति का होगा । वह एक शिक्षक, दार्शनिक तथा मंत्रियों के मित्र के रूप में सलाह दे सकता हैं, परंतु स्वयं को उनके स्वामी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता - यह कार्य प्रधानमंत्री को सौंपा गया हैं। अतः राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की

अध्याय – 13
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148 के** तहत एक **स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की प्रावधान है** जो भारत के लेखा-बही का प्रमुख होता है और समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के आर्थिक क्रियाकलापों की देख-रेख करता है।
वर्तमान CAG → गिरीश चन्द्र मुर्मु

नियुक्ति की शर्तें:

1. महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
2. उसका **कार्यकाल** नियुक्ति से **6 वर्ष तक होता है या वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो।**
3. वह भारत का नागरिक हो तथा बहीं खातों की निगरानी का लंबा अनुभव हो।

स्वतंत्रता :- महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र कार्य करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं:

1. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसको हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है।

प्रश्न. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है।

A. लोकसभा अध्यक्ष
B. भारत का महान्यायवादी
C. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
D. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्षउत्तर- C

2. इसके कार्यकाल के दौरान इसकी सेवा एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।
3. वह इस पद को धारण करने के बाद किसी अन्य केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पद को धारण नहीं कर सकता।
4. इसका वेतन, भत्ता एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसका वेतन एवं सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होती है।

प्रश्न. कथन : (A) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है।
कारण : (R) उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।

(a) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।
(b) (A) और(R) दोनों सही है एवं (R) (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) और (R) दोनों सही है एवं (R) (A) की सही व्याख्या नहीं करता।
उत्तर - B

5. अपने तमाम लेखों के निरक्षण का विवरण वह समय-समय पर राष्ट्रपति को सौंपता है। जिसपर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद सदस्यों के सामने संसद के पटल पर रखवाता है।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

A. नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया होता है।
B. शशिकांत शर्मा भारत के ग्यारहवें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है।
सही कूटों का चयन करें
A. केवल (A)सत्य है।
B. केवल (B) सत्य है।
C. (A) व (B) दोनों सत्य है।
D. (A) व (B) दोनों गलत है।
उत्तर- A

6. इसको पद से विमुक्त करने के लिए लगभग वहीं प्रावध न है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान है।

शक्तियां एवं कार्य :- संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद समय-समय पर महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों नियम एवं शर्तों का निर्धारण करती है।

1. उन सभी बहीं खातों का निरक्षण करना जिनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के खर्चे शामिल होते हैं। उन सभी संस्थाओं व्यापारी घरानों आदि के खातों का निरक्षण करना जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय सहायता प्राप्त है।
2. महालेखा परीक्षक समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के खातों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।

3. महालेखा परीक्षक समय-समय पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए इस रिपोर्ट को संसद के सदस्यों के समक्ष रखवाता है।
4. महालेखा परीक्षक राज्य स्तरीय खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इस पर विचार के लिए विधानसभा में रखवाता है।
5. यह नये टैक्स के निर्धारण एवं धन उपयोगिता संबंधित सलाह भी देता है।
6. यह संसद के लोक-लेखा समिति के लिए एक मार्गदर्शक मित्र एवं एक दार्शनिक की तरह कार्य करता है।
7. वह राज्य सरकारों के खातों को संकलित एवं नियंत्रित करता है।
8. इसकी सतर्कता का परिणाम बहुत व्यापक होता है और सरकारों को पथ से विमुख होने की संभावना कम होती है। जिसका वर्तमान उदाहरण 2 जी घोटालों में देखा जा सकता है।

1. **CAG की भूमिका :-** वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है । कार्यकारी (अर्थात मंत्रिपरिषद) की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व केग (CAG) की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

- महालेखा परीक्षक संसद का ऐजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।
- गुप्त सेवा व्यय **कैग** (CAG) की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाऐं निर्धारित करता है इस संबंध में **कैग** कार्यकारी एजेंसियो द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक अधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि वह इस प्रधिकार के अंतर्गत किया गया है।
- **कैग** को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रुप से जिस प्रयोजन हेतु धन **संवितरित** किया गया था, वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरुप है।

इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त **कैग** औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है। अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, निष्ठा और मित**व्यवता** की जांच करता है और ऐसे व्यक्ति व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है ।

2. **एप्पलबाई की आलोचना :-** पॉल एच एप्पलबाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी दो रिपोर्टों में सी.ए.जी. की भूमिका की कड़ी आलोचना की है तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है उसने राय दी कि सी.ए.जी को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए भारतीय लेखा परीक्षा की उसकी आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं।

1. भारत में सी.ए.जी. का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है।
2. आज सी.ए.जी. निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव है।
3. संसद के लेखा परीक्षक को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। इसलिए संसद सी.ए.जी. के कार्य को परिभाषित करने में विफल रही है जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है।
4. वास्तव में सी.ए.जी. का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं, नहीं उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।
5. लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है लेकिन यह प्रशासन नहीं है यह आवश्यक है किंतु यह एक अत्यंत निरस तथा सीमित परिपेक्ष्य एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है।
6. किसी विभाग का सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सी.ए.जी. तथा उनके समस्त कर्मचारियों से ज्यादा जानता है।

सारांश

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत् एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक का प्रावधान है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है या वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो।

अध्याय – 27

संगठन के सिद्धांत

संगठन के सिद्धांत (Theory of Organisation) :-

परिभाषा (संगठन) :- Organisation ' organ से बना है जिसके अर्थ होता है शरीर के अंग । अतः जिस प्रकार शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है उसी प्रकार एक संगठन का निर्माण भी विभिन्न अंग मिलकर करते हैं ।

→ संगठन में मानव तथा भौतिक संसाधनों का समन्वय होता है संगठन बनाना प्रशासन का मुख्य कार्य है ।

→चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार दो या अधिक लोगों की गतिविधियों का सचेतन समन्वय संगठन कहलाता हैं ।

चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के लिए तीन महत्वपूर्ण अंग बताये हैं ।

(1) उद्देश्य
(2) परस्पर संचार
(3) सेवा की ईच्छा

लुथर गुलिक ने संगठन के 4 p का सिद्धांत दिया :-

(1) process :- प्रक्रिया
(2) purpose :- उद्देश्य
(3) place :- क्षेत्र / बहु भाग
(4) person :- व्यक्ति

पदसोपान - संगठन के कार्यों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से करने लिए पदसोपानिक सिद्धांत आवश्यक है। पदसोपान सिद्धांत की आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न स्तर पर अधिकार दिए जाते हैं। इस व्यवस्था से अधिकार व उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है एवं औपचारिक संचार स्थापित होता है।

पदसोपान का अर्थ है उच्चतर व निम्नतर पर नियंत्रण। पदसोपान को सोपानात्मक श्रृंखला भी कहा जाता है। फियोल के अनुसार, "उच्च व अधीनस्थों के सम्बन्ध से बना संगठन पदसोपान कहलाता है। संगठन में सुव्यवस्थित कार्य के लिए पदसोपान का होना आवश्यक है। पदसोपान द्वारा उच्च अधिकारी के अधिकार व उतरदायित्व का सुस्पष्ट निर्धारण होता है आदेश सुव्यवस्थित तरीके से उचित माध्यम से उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुँचते हैं।

पदसोपान में -

- विभिन्न स्तरों पर अधिकार सौंपे जाते हैं।
- पदसोपान में प्रत्येक कार्य व आदेश उचित माध्यम से होकर होते हैं ।
- पदसोपानिक व्यवस्था में अनुशासन स्थापित होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक पदाधिकारी Immediate order को ही ग्रहण करता है।
- अधिकार व उतरदायित्व के निर्धारण से प्रशासनिक संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है अतः पदसोपानिक व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य विभाजन होने एवं प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेहिता निर्धारित होने से संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

संगठन में पदसोपान का निर्धारण साधारणतः चार प्रणालियों के आधार पर किया जाता है ।

1. कार्य आधारित पदसोपान - कार्य के आधार पर सत्ता के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है अर्थात् अधिक कार्य करने वाले को पदसोपानिक व्यवस्था के उच्च स्तर पर नियुक्त किया जाता है
2. रैंक के आधार पदसोपान - कार्य के आधार पर पदसोपान न होकर, निर्धारण रैंक के आधार पर होता है।
3. वेतन पर आधारित सोपान - अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदसोपानिक का स्तर उच्च होता है।
4. स्किल आधारित पदसोपान -विशेषज्ञ व तकनीकी संगठनों में कार्य कुशलता के आधार पर पदसोपान का निर्धारण किया जाता है।

प्रशासनिक संगठनों में समन्वित आधार पर पदसोपान का निर्धारण किया जाता है

पदसोपानिक व्यवस्था का मुख्य कार्य सुव्यवस्थित ढंग से अनुशासन के आधार पर सुनिश्चित अधिकार व उतरदायित्व के द्वारा कार्य करना होता है इस व्यवस्था में प्रत्येक उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ को आदेश देने का अधिकार होता है एवं अधिकारी भी उच्च अधिकारी द्वारा दिए गये आदेश को ग्रहण करते हैं। चूंकि पदसोपानिक व्यवस्था में

प्रत्येक कार्य उचित माध्यम से होता है ऐसी स्थिति में जब एक ओर संगठन में प्रभावी संचार स्थापित होता है वही अधिकार या जिम्मेदारी के समन्वयकारी कार्य से संगठन के कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

पदसोपान के महत्व :-

1. इस व्यवस्था से संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है फलस्वरूप अनुशासन स्थापित है
2. पदसोपान में समन्वय के साथ - साथ एकजुटता बनी रहती है इससे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है
3. प्रत्येक स्तर पर अधिकार व उतरदायित्व की निर्धारण से संगठन में जवाबदेहिता की भावना उत्पन्न होती है
4. पदसोपानिक व्यवस्था से अधीनस्थों कों भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है इस संगठन में विकेंन्द्रीकरण होता है
5. कार्य की उचित माध्यम में होने से संगठन में अनुशासन स्थापित होता है

हानियाँ

पदसोपान में लाभों के साथ इन व्यवस्था की कुछ हानियाँ भी हैं-

1. संगठन में लाल फीताशाही की स्थिति बढ़ती है जिससे संगठन के कार्यकुशलता में कमी आती है।
2. संगठन में उच्च व अधीनस्थों के संबंध निर्धारित होते है इससे कर्मचारियों में तनाव की स्थिति बनती है।
3. पदसोपानिक व्यवस्था में प्रत्येक कार्य के उचित माध्यम होने के कारण संगठन की कार्यकुशलता में कमी होती है फलस्वरूप संगठन में नवीनता की कमी आती है।

यद्यपि पदसोपानिक व्यवस्था की सबसे मुख्य कमी लाल फीताशाही के साथ - साथ संगठन में नियमबद्धता के कारण कार्यकुशलता प्रभावित होती है। किन्तु संगठन के कुशलता में वृद्धि के लिए पदसोपान का होना आवश्यक है इससे न सिर्फ संगठन में अनुशासन आता है बल्कि संगठन में कुशल औपचारिक संचार का निर्धारण होता है एवं अधिकार व जिम्मेदार के प्रत्येक पद स्तर पर निर्धारण से प्रत्येक पदाधिकारी की जवाबदेहिता का निर्धारण होता है अतः संगठन की औपचारिकता संरचना के लिए पदसोपान एक आवश्यक सिद्धांत है।

आदेश की एकता

भ्रम से बचने के उद्देश्य से आदेश की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इसके अनुसार "प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करने चाहिए। पिफनर व पेसथस के अनुसार "प्रत्येक कर्मचारी को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए ।'

संगठन में कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक है की प्रत्येक कार्मिक को यह पता हो कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है व किसके आदेश प्राप्त करना है। यदि संगठन में कर्मचारी को एक से अधिक आदेश प्राप्त होंगे तों भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। फलस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में कमी होगी व अव्यवस्था बढ़ेगी अतः संगठन में अनुशासन स्थापित करने, व्यवस्था स्थापित करने व भ्रम की स्थिति कों दूर करने के लिए आदेश की एकता का सिद्धांत आवश्यक है ।

आदेश की एकता के सिद्धांत से -

- सत्ता व उतरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। तथा प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट तुरंत उच्च अधिकारी (Immediate Boss) के आदेशों को प्राप्त करने की जानकारी हो जाती है।
- आदेश एकता के सिद्धांत से आदेशों का दोहराव नहीं हो पाता। फलस्वरूप संगठन में अनुशासन स्थापित होता है। व प्रत्येक कर्मचारी में दायित्त्व का अभाव उत्पन्न होता है ।
- आदेश के व्यवस्थित होने से जहाँ दायित्त्व की भावना बढ़ती है वहीं संगठन के कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। इसीलिए हेनरी फेयोल ने कहा था की "आदेश की एकता के अभाव में सत्ता कमजोर हो जाती है फलस्वरूप अनुशासन समाप्त होता है संगठन के स्थापित को खतरा उत्पन्न होता है।"

आदेश की एकता के सिद्धांत की सीमाएं -

व्यवहार में प्रायः इस सिद्धांत की उल्लंघन होता है। चूँकि आधुनिक समय में एक कर्मचारी जहाँ तकनीकी से निर्देश प्राप्त करता है वहीं दूसरी ओर वह कर्मचारी विकासात्मक कार्यों से सम्बन्धित आदेश प्राप्त करता है। एफ. डब्ल्यू. टेलर के अनुसार आदेश की एकता के सिद्धांत से संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि आती है। अतः एक कर्मचारी को आठ विशेषज्ञ अधिकारी के निर्देशन में कार्य

3. इस सिद्धांत का उद्देश्य संगठन में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना है।
4. नियंत्रण का क्षेत्र विभिन्न औपचारिक व अनौपचारिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है।
उदाहरण:- कार्य, स्थान, व्यक्तित्व आदि।

- **<u>नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक :-</u>**

(A) औपचारिक कारक :-

(1) कार्य की प्रकृति :- यदि उच्चाधिकारी व अधीनस्थों के कार्यों की प्रकृति समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा।
यदि उच्चाधिकारी व अधीनस्थों के कार्यों की प्रकृति असमान है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

(2) स्थान :- यदि उच्चाधिकारी व अधीनस्थ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि वहीं दोनों अलग - अलग स्थानों पर काम करते हैं तो उच्चाधिकारी व अधीनस्थ के मध्य नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

(3) आयु या अनुभव :-
आयु - यदि संगठन नया है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। और यदि संगठन पुराना है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा।
अनुभव - यदि उच्चाधिकारी संगठन में नया है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा और यदि उच्चाधिकारी अनुभवी है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा।

(4) पदसोपान के स्तर :- यदि संगठन में पदसोपान के स्तर कम हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि संगठन में पदसोपान के स्तर अधिक हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

(5) आधुनिक पर्यवेक्षण की तकनीक :- यदि संगठन में आधुनिक पर्यवेक्षण की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। (CCTV, बायोमेट्रिक उपस्थिति आदि)
यदि संगठन में परम्परागत पर्यवेक्षण की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। (निरक्षण व प्रतिवेदन)

(6) प्रत्यायोजन की सुविधा :- यदि प्रत्यायोजन की सुविधा है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि संगठन में प्रत्यायोजन की सुविधा नहीं है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

(B) अनौपचारिक कारक :-

(1) व्यक्तित्व :- यदि उच्चाधिकारी कार्यकुशल, बुद्धिमान, सक्रिय, ईमानदार है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा।
यदि उच्चाधिकारी कामचोर, आलसी, अकार्यकुशल है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

(2) पारिवारिक परिस्थितियाँ :- यदि उच्चाधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियाँ सकारात्मक हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा।
यदि उच्चाधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियाँ नकारात्मक हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा।

2. ग्रेक्युनास का योगदान :-
ग्रेक्युनास ने 1933 में अपने लेख Relationship in organaisation में विभिन्न विचार दिए -

1. ग्रेक्युनास के अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र 'ध्यान का क्षेत्र ' है।
2. इसके अनुसार उच्चाधिकारी को अधीनस्थों की संख्या के बजाय उनके मध्य बनने वाले संबंधों को नियंत्रण करना होता है।
अधीनस्थों के मध्य तीन प्रकार के संबंध होते हैं -
1. प्रत्यक्ष संबंध - n
2. प्रत्यक्ष समूह संबंध - $n (n - 1)$
3. आड़े - तिरछे संबंध - $n (2^{n-1} - 1)$

[n = अधीनस्थों की कुल संख्या]

अधीनस्थों के मध्य बनने वाले कुल संबंधों को ज्ञात करने का सूत्र -

कुल संबंध = $n \left[\frac{2^n}{2} + n - 1 \right]$

जैसे :- यदि अधीनस्थों की कुल संख्या 5 है तो

कुल संबंध = $2\left(\frac{2^5}{2} + 5 - 1\right) = 100$

प्रशासनिक सफलता के लिए सत्ता आवश्यक है।
संगठन में अनुशासन बनाए रखने व संगठन को कार्य कुशल बनाने के लिए सत्ता आवश्यक है सत्ता से संगठन में जहाँ उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है वहीं सत्ता से जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है।
सत्ता व अधिकार वैधानिक एवं अधीनस्थों को आदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है अर्थात्

. निम्नलिखित में से कौनसी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ?

A. परमादेश B. बंदी प्रत्यक्षीकरण
C. अधिकार पृच्छा D. प्रतिषेध

उत्तर (B)

. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में असत्य कथन है-

A. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है ।
B. उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है ।
C. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है ।
D. वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है ।

उत्तर (D)

अध्याय – 6
जिला प्रशासन

- प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से सभी राज्यों को छोटी - छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया है जिन्हें जिला कहा जाता है ।
- सन् 1772 में अंग्रेजी शासन काल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ' कलेक्टर ' का पद सृजित करने के साथ ही आधुनिक जिला प्रशासन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ ।
- स्वतंत्रता के बाद जिला को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनाया गया ।
- भारत के संविधान में भी जिला शब्द का प्रयोग किया गया है । संविधान में जिला शब्द का अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में प्रयोग किया गया है । पंचायती राज के लिए जिला परिषद् का प्रयोग अनुच्छेद 243 में किया गया है ।

जिला प्रशासन के महत्त्व के कारण

1. जिला प्रशासन तथा जिलाधीश के पद की छवि भारतीय जन साधारण के मन में परम्परागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है ।
2. भौगोलिक दृष्टि से संतुलित क्षेत्र स्थिति के कारण प्रशासनिक दृष्टि से सुविधापूर्ण तथा क्षेत्रीय स्तर तक पहुँच बनाए रखता है
3. जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना - जाना आसानी से होता रहता है ।
4. राज्य सरकार के समस्त कार्यालय प्रायः जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण राज्य की राजधानी से समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है ।
5. ऐतिहासिक निरन्तरता के साथ - साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व का बोध कराता है ।
6. जिला प्रशासन स्थानीय समस्याओं से अवगत रहता है ।

जिला प्रशासन के कार्य

- जिला प्रशासन राज्य प्रशासन और जन साधारण के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है । राज्य सरकार के समस्त कार्यों को जिला स्तर पर स्थापित करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है ।

- जिला प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं

i. **नियामकीय कार्य :** - जिला प्रशासन के नियामकीय कार्यों के जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना अपराधों पर नियंत्रण करना न्यायिक प्रशासन करना आयकर ब्रिकीकर चुंगीकर वनों पर कर एकत्रित करना , भू - राजस्व बकाया प्राप्त करना भूमि प्रशासन के सामान्य कार्य आदि करना सम्मिलित है ।

ii. **विकासात्मक कार्य करना** - जिला प्रशासन के द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित कार्य किए जाते है । विकास के कार्यों के अंतर्गत जनकल्याणकारी और लोकहितकारी किए जाते हैं । जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाना , सहकारिता पशुधन और मछली पालन को प्रोत्साहित करना , शिक्षा का प्रसार करना , समाज कल्याण के कार्य करना।

iii. **कार्मिक प्रशासन के कार्य करना-** कार्मिक प्रशासन के कार्यों भर्ती करना , प्रशिक्षण देना पदोन्नति करना , पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना और पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है ।

iv. **निर्वाचन संबंधी कार्य करना** - जिले में लोकसभा , विधानमण्डल , स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को करवाना जिला प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य होता है ।

v. **स्थानीय संस्थाओं का संचालन करना :** - जिले में नगरीय संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन की सुचारू रूप से सचालित करने में जिला प्रशासन सहयोग प्रदान करता है ।

vi. **राहत कार्य करना :** - जिले में प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़ , भूकम्प , सूखा , अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों का संचालन किया जाता है ।

vii. **समन्वय संबंधी कार्य करना :** - जिला प्रशासन के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों , केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों , स्वयसेवी संगठनों , निजी संगठनों , गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है ।

जिला कलेक्टर

जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है । जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी होता है ।

जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका-

A. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में : - एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है

1. पोस्डकॉर्ब (POSDCORB) के कार्यों को करना।
2. जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों जैसे तहसीलदार , नायब तहसीलदार और जिले में कार्यरत अन्य राजपत्रित अधिकारियों को पदस्थापना करना और उनका स्थानांतरण करना ।
3. वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना ।
4. कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करना ।
5. जिले के राजस्व भवनों का निर्माण करना और उनकी देखभाल करना ।
6. वह जिला कोषालय का प्रभारी होता है और जिले की सभी ट्रेजरी या कोषालयों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है ।
7. सरकारी वाहनों , सर्किट हाउस और डाक बंगले पर नियंत्रण रखना ।
8. जिला प्रशासन की संपत्ति , धरोहर , भवनों , इमारतों और पर्यटक स्थलों की रक्षा करता है ।
9. जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण करना ।
10. जिले के गाँवों और नगरीय क्षेत्रों का दौरा करके जनता की शिकायतों की सुनवाई करना ।

B. जिलाधीश के रूप में : - जिला कलेक्टर के रूप में वह राजस्व संग्रह का कार्य करता है । जो निम्न है-

1. भू- राजस्व की दरों का निर्धारण करना ।
2. भू- राजस्व को संग्रह करना ।
3. कृषि आयकर , ब्रिकी कर , सिंचाई कर , नहरी शुल्क तथा आयकर और अन्य करों को संग्रह करना।
4. कृषि ऋणों का वितरण और उनकी वसूली करना।
5. भू - अभिलेख से संबंधित सभी प्रकरणों को देखना।
6. भू - राजस्व से संबंधित मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना ।
7. भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य करना ।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/dy0fu7

Online order - https://bit.ly/3BGkwhu

Call करें - 9887809083